उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1
संख्या– 1494 / XIII-1 / 2020–03(14)2021
देहरादून दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या– 1493 / XIII-1 / 2020–3(14)2021, दिनांक 10 दिसम्बर,2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड कृषि समूह "ख" सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कूमायूं मण्डल।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

P. Circulated to all
For DDWR
18/12/21

Sl Email
20/12/2021

कृषि निदेशालय
पत्र प्राप्ति सं. 662
दिनांक 18/12/2021
उत्तराखण्ड देहरादून

Mail to all CAO's
ADA & JDA

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1
संख्या– 1473 /XIII-1/2021-03(14)2021
देहरादून दिनांक 10 दिसम्बर 2021

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश कृषि समूह "ख" सेवा नियमावली, 1995 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात :–

उत्तराखण्ड कृषि समूह "ख" सेवा (संशोधन) नियमावली 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि समूह "ख" सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उप नियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, मैदानी संवर्ग के लिए जैसी परिशिष्ट "क" में दी गयी है और पर्वतीय उप संवर्ग के लिए जैसी परिशिष्ट "ख" में दी गयी है, के अनुसार होगी ; परन्तु क. नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या ख. राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।	(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें कृषि सेवा श्रेणी–2 समूह 'ख' कृषि विकास शाखा के पदों की संख्या, जैसा कि परिशिष्ट 'क' में प्रदर्शित है, के अनुसार होगी ; परन्तु क. नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या ख. राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।
(3) सेवा में विभिन्न पद अनुभागों में विभाजित होंगे, जैसा कि परिशिष्ट "क" और "ख" में प्रदर्शित है।	(3) कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा के अन्तर्गत पदों की संख्या एवं पदनाम परिशिष्ट "क" के अनुसार होंगे।"

नियम 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पद पर भर्ती परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में उनके सामने विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।	5 कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा के पदों पर भर्ती परिशिष्ट "क" में उनके सामने विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।

नियम 8 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में पदों के सामने प्रदर्शित शैक्षिक अर्हताएँ होनी चाहिए।	8 कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए परिशिष्ट "क" में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हताए होनी चाहिए।

नियम 14 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14 नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली अनुभागवार रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली प्रत्येक अनुभाग में, रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।	14 नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।"

नियम 15 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के उप नियम (3) एवं (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को	(3) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित

साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुँचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गए अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।	[illegible] की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुँचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गए अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड दिए जायेंगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी को अनुभागवार सूची अग्रसारित करेगा।	(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग से बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

नियम 17 का संशोधन

7. मूल नियमावली में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
17 यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो सम्बद्ध अनुभाग के सन्बन्ध में एक संयुक्त चयन सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से लेकर तैयार की जायेगी कि निहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।"	17 यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो पदों के सम्बन्ध में एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी और उसमें अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से लेकर तैयार की जायेगी कि निहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

नियम 21 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे दिये गये स्तम्भ–1 में विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
21 किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक	21 कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय– समय पर यथा संशोधित

उत्तराखण्ड नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2012 के अनुसार अवधारित की जायेगी। जायेगी।

नियम 22 का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे दिये गये स्तम्भ–1 में विद्यमान नियम 22 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित उप नियम
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा के वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं।

परिशिष्टि का संशोधन नियमावली जायेगी।

10. मूल नियमावली में परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' इस संशोधन में संलग्न परिशिष्ट से प्रतिस्थापित कर दी

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

परिशिष्ट–'क'

(नियम–4(2), 4(3), 5, 8, 22(2) देखिए)

क्र. सं	विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्त्रोत	शैक्षिक अर्हता	वेतनमान
(1)	कृषि	कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा 1. सहायक निदेशक (निदेश, अभियंत्रण, कृषि रक्षा/निगरानी, अनुश्रवण, मृदा परीक्षण, सम्प्रेक्षण, नियोजन, सामान्य, प्रदर्शन) 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी। 3. कृषि रक्षा अधिकारी। 4. केन्द्र प्रभारी।	63 13 35 13 02	(I) 50 % आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (II) 50 % चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	अनिवार्यः– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि/कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानीः– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि कृषि (कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान/कृषि रसायन विज्ञान/मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण/कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन या अनुवांशिकीय में विशेषज्ञता/शस्य विज्ञान/कृषि अभियन्त्रण) उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता/भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से पी0एच0डी0 की उपाधि कृषि (कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान/कृषि रसायन विज्ञान/मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण/कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन या अनुवांशिकीय में विशेषज्ञता/शस्य विज्ञान या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	वेतन मैट्रिक्स रू0 56100–177500 लेवल–10

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1
संख्या–1374/XIII-1/2021–03(14)2021
देहरादून : दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक स्वरूप के दृष्टिगत राज्य में कृषि विकास को गति देने, कृषकों को कृषि से सम्बन्धित सभी प्रकार के वैज्ञानिक/तकनीकी जानकारियों एवं सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए उनकी समस्याओं/जिज्ञासाओं का समाधान उसी स्थान पर सुनिश्चित करने, कृषि में पर्याप्त विविधता, उत्पादन एवं उत्पादकता में उपलब्ध अन्तर को कम करने, उपलब्ध मानव संसाधन का प्रभावी ढ़ंग से उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–431/ XIII-1/2010-3(08)/2006 देहरादून 28 मई,2010 से कृषि विभाग में सिंगल विण्डो सिस्टम स्थायी रूप से लागू किया गया है।

2– इस व्यवस्था में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 जो कि उत्तराखण्ड प्रदेश में अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश के उपरान्त प्रभावी हैं, के विभिन्न शाखाओं को समाप्त कर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, वर्ग–2, वर्ग–3 (सांख्यिकी एवं अभियन्त्रण को छोड़ते हुए) में पदों का पुनर्गठन कर कृषि विकास शाखा तथा रसायन एवं शोध शाखा गठित की गयी है।

3– इसी क्रम में समूह 'ख' सेवा श्रेणी–2 के विभिन्न शाखाओं के पदों को सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत पुनर्गठन/समायोजन किया जाना विभाग की आवश्यकता बन गयी है। जिससे अधीनस्थ सेवा में लागू किए गए सिंगल विण्डो सिस्टम का अधिकतम लाभ विभाग को प्राप्त होगा तथा विभाग के कार्यों में एकरूपता आएगी। वर्तमान में कृषि विभाग में समूह 'ख' सेवा (श्रेणी–2) के स्वीकृत पदों के सापेक्ष समूह 'क' सेवा (श्रेणी–1) में पदोन्नति हेतु आनुपातिक रूप से शाखावार निम्न पद स्वीकृत हैं :–

क्र0 सं0	अनुभाग/शाखा	श्रेणी–2 के स्वीकृत पद	1:4 के अनुसार श्रेणी–1 में पदोन्नति हेतु पद
1	विकास शाखा	30	7
2	पौध संरक्षण शाखा	14	3
3	अभियन्त्रण शाखा	14	4
4	रसायन शाखा एवं वनस्पति शाखा	4+1=5	1
	योग–	63	15
5	विपणन	1	1
6	सांख्यिकी	4	2
	कुल योग–	68	18

4– उपरोक्त तालिका के अनुसार क्र0सं0 1 से 4 तक के श्रेणी–2 के कार्मिकों की पदोन्नति श्रेणी–1 के मुख्य कृषि अधिकारी/उप निदेशक पद पर होती है। जनपद पर इस पद का नाम मुख्य कृषि अधिकारी एवं निदेशालय पर उप निदेशक रखा गया है। इनके एक समान कार्य हैं। इस पद को किसी विशिष्ट शाखा से सम्बन्धित कार्य न कर पद के अधीन आने वाले समस्त कार्य करने होते हैं। इन पदों की कुल संख्या–15 हैं। उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–956/कृषि–1(41)2002, दिनांक 02 अगस्त,2003 के माध्यम से विभागीय पुनर्गठन में विशिष्ट शाखा के उप निदेशक पद सृजित नहीं है, जिस कारण प्रदेश में नियमावली की उक्त आनुपातिक व्यवस्था की व्यवहारिकता प्रतीत नहीं होती।

क्रमांक.....2

5– कृषि सेवा श्रेणी–2 के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं यथा विकास, पौध संरक्षण, अभियंत्रण, रसायन एवं वनस्पति, विपणन तथा सांख्यिकी शाखा के कुल 68 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में विपणन के 01 एवं सांख्यिकी शाखा के 04 पदों, कुल 05 पदों को छोड़ते हुए शेष 63 पदों को उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–956/कृषि–1(41)/2002, दिनांक 02 अगस्त, 2003 तथा अधिसूचना संख्या–431/XIII-1/2010-3(08)/2006 देहरादून 23 मई, 2010 के आलोक में कृषि सेवा श्रेणी–2 की विभिन्न शाखाओं (विकास, पौध संरक्षण अभियंत्रण, रसायन एवं वनस्पति शाखा) को अमेलित करते हुए कृषि विकास शाखा के रुप में गठित किया जाता है। कृषि सेवा श्रेणी–1 में पदोन्नति हेतु पूर्व में प्रचलित शाखावार आनुपातिक प्रतिनिधित्व को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

6– उत्तराखण्ड समूह 'क' सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 एवं उत्तराखण्ड समूह 'ख' सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्राविधानों के अनुसार ही विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

7– कृषि सेवा समूह 'ख' में आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति से भरे गये पदों की एक ही ज्येष्ठता सूची बनेगी। कृषि सेवा श्रेणी–2 (कृषि विकास शाखा) एकल पोषक संवर्ग रहेगा, जिसमें ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– 1374/XIII-I/2021–03(14)2021–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
(2) सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(3) महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
(4) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(6) कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।
(7) वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि निदेशालय, देहरादून।
(8) अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमॉऊ हल्द्वानी।
(9) समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।

186-UO. 2021 22